25/11/17 पत्रावली पेश हुई। दावा वादी आंशिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रोशन आयु 28 साल
2. हरिकेश आयु 21 आयु
3. विनोद आयु 19 साल
4. राजकुमार आयु 18 साल

} पिसरान स्व0 रामस्वरूप

5. श्रीमाति द्रोपती पत्नि स्व0 रामस्वरूप आयु 59 साल
   सभी जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती अमरबाई पत्नि मोहन आयु 52 साल
2. मोहन पुत्री शिवराम आयु 56 साल

} जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती करौली

3. रूपसिंह आयु 48 साल
4. बच्चू आयु 46 साल
5. जयसिंह आयु 19 साल
6. रेखसिंह आयु 23 साल
7. धारासिंह आयु 21 साल

} पिसरान भरोसी

8. बत्तो आयु 44 साल
9. अम्मो आयु 39 साल

} पुत्रीयान भरोसी

10. कटोरी पत्नि भरोसी आयु 69 साल
11. फूसी पुत्र शामा आयु 64 साल
12. पप्पू पुत्र बुद्धु आयु 45 साल
13. मोहनसिंह आयु 36 साल पुत्र पप्पू
14. जलबाई आयु 34 साल
15. ब्रहमबाई आयु 32 साल

} पुत्रीयान बुद्धु

16. सूकी पत्नि बुद्धु आयु 65 साल
17. शान्ति पत्नि हरी आयु 59 साल
    जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती (भौडेरा) तह0 व जिला करौली

18. सुनीता आयु 38 साल
19. रूपन्ती आयु 34 साल
20. भूरा आयु 30 साल
21. रूमा आयु 28 साल

} पुत्रीयान हरी

22. मुन्नी पत्नि घिसल्ला आयु 56 साल
23. रोशन आयु 27 साल
24. रक्खी उर्फ लक्खी आयु 21 साल
25. विष्णु आयु 23 साल
26. भगवानसिंह आयु 21 साल
27. करण आयु 20 साल

} पुत्रान घिसल्ला

28. आशा आयु 38 साल
29. सुपीता आयु 30 साल
30. विमलेश आयु 32 साल
31. फलन्ती आयु 30 साल
32. सोनम आयु 28 साल

} पुत्रीयान घिसल्ला

} (18 से 32) सभी जाति… माली निवा… नदी भद्रावती … करौ…

33. लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली जरिये तहसीलदार तहसील करौली
34. विनीता शर्मा पत्नी शान्ति किशोर शर्मा नि. आनंद विहार करौली

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.04.22 14:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

दावा धारा 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 18/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्** **चन्द बंसल, एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री इश्हाक अहमद, एडवोकेट** मिनजानि मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशि डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1246 रकबा 19 बिस्वा कस्बा करौल पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जात है कि वह आराजी खसरा नंबर 1246 रकबा 19 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर तहसील करौली में दखल नहीं करे व बेदखल नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्च इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये ... हो या ... नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.04.22 14:50:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः—18 / 18 तारीख रजुः—08.08.18

उनवान

1. रोशन आयु 28 साल
2. हरिकेश आयु 21 आयु
3. विनोद आयु 19 साल
4. राजकुमार आयु 18 साल

} पिसरान स्व0 रामस्वरूप

5. श्रीमाति द्रोपती पत्नि स्व0 रामस्वरूप आयु 59 साल
   सभी जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती करौली तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमती अमरबाई पत्नि मोहन आयु 52 साल
2. मोहन पुत्री शिवराम आयु 56 साल

} जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती करौली

3. रूपसिंह आयु 48 साल
4. बच्चू आयु 46 साल
5. जयसिंह आयु 19 साल
6. रेखसिंह आयु 23 साल
7. धारासिंह आयु 21 साल

} पिसरान भरोसी

8. बत्तो आयु 44 साल
9. अम्मो आयु 39 साल

} पुत्रीयान भरोसी

10. कटोरी पत्नि भरोसी आयु 69 साल
11. फूसी पुत्र शामा आयु 64 साल
12. पप्पू पुत्र बुद्ध आयु 45 साल
13. मोहनसिंह आयु 36 साल पुत्र पप्पू
14. जलबाई आयु 34 साल
15. ब्रहमबाई आयु 32 साल

} पुत्रीयान बुद्ध

16. सूकी पत्नि बुद्ध आयु 65 साल
17. शान्ति पत्नि हरी आयु 59 साल
    जातियान माली निवासीयान नदी भद्रावती (भौडेरा) तह0 व जिला करौली
18. सुनीता आयु 38 साल
19. रूपन्ती आयु 34 साल
20. भूरा आयु 30 साल
21. रूमा आयु 28 साल

} पुत्रीयान हरी

22. मुन्नी पत्नि घिसल्ला आयु 56 साल
23. रोशन आयु 27 साल
24. रक्खी उर्फ लक्खी आयु 21 साल
25. विष्णु आयु 23 साल
26. भगवानसिंह आयु 21 साल
27. करण आयु 20 साल

} पुत्रान घिसल्ला

28. आशा आयु 38 साल
29. सुपीता आयु 30 साल
30. विमलेश आयु 32 साल
31. फलन्ती आयु 30 साल
32. सोनम आयु 28 साल

} पुत्रीयान घिसल्ला

} सभी जातियान माली ... भद्रावती तह0 ... करौली

33. लैण्ड हॉल्डर तहसील करौली जरिये तहसीलदार तहसील करौली
34. विनीता शर्मा पत्नी शान्ति किशोर शर्मा नि. आनंद विहार करौली

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:50:17 IS
Reason: SelfAttested

दावा धारा 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांकः– 25/11/18

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1246 रकबा 19 बिस्वा वाके करबा करौली पटवार हल्का 10 करौली तहसील व जिला करौली पटवार हल्का नंबर 8 करौली में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें वादी नंबर 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है वादी नंबर 5 का 831/2874 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का 606/2875 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। सबूतन नकल जमाबंदी संवत 2072–75 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। आराजी खसरा नंबर 1239 लगायत 1245 एवं खसरा नंबर 1247, 1248, 1250, 1253 लगायत 1256 कुल किता 14 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली तहसील करौली में स्थित है। जो वादीगण के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिन पर वादीगण काबिज काश्त बतौर खातेदार है। विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नंबर 1 व 2 मौके पर हमेंशा से सैकडों वर्षों से खसरा नंबर 1246 अन्य आराजीयात वादीगण के साथ एक चक है। जिन पर वादीगण बतौर खातेदार अपने पितागण व पितामह नारायण व किशोरी के समय से काबिज काश्त बतौर खातेदार है प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 की कोई आराजी भूमि वादीगण की भूमि से लगी हुई नहीं है। बल्कि प्रतिवादी का खसरा नंबर 1245/9805 नहीं होकर 1845/9805 है। सेटलमेंट संवत 2015 में खसरा नंबर 1245/9805 गलत दर्ज हुआ है। खसरा नंबर 1245/9805 कभी भी राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सीट जमाबंदी व खसरा नंबर गिरदवरी में संवत 2015 से पूर्व नहीं रहा है। तरमीम सीट संवत 2012 में भी खसरा नंबर 245/9805 की तैयार नहीं [illegible] प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 का वादीगण के खसरा नंबर 1246 [illegible] भी दिशा पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही अब काबिज [illegible]। वादीगण संवत 2015 से पूर्व से आराजीयात खसरा नंबर 1246 पर काबिज काश्त है। खसरा नंबर 1245 संवत 2015 से पूर्व से ही मात्र 2 बिस्वा रकबे का है तथा खसरा नंबर 1245/9805 व खसरा नंबर 1245 का मिन नंबर होने का कोई प्रश्न नहीं है। खसरा नंबर 1245/9805 सेटलमेंट संवत 2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

में सेटलमेंट कर्मियो द्वारा अनाधिकार तौर पर गलत विला आधार किया है और उक्त अवैध व अनाधिकार एवं विला आधार इन्द्राज के सबब प्रति० नंबर 3 लगायत 32 वादीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1246 में प्रतिवादी नंबर 33 से साज कर तरमीम कराने पर तुले हुये छैं और प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 दिनांक 30.7.2018 को अपने साथ पटवार हल्का महेश कस्बा करौली नबंर 8 व गिरदावर हल्का करौली को लेकर खसरा नंबर 1246 पर आये और वादीगण से ऐलानिया कहा कि हम प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 व प्रतिवादी नंबर 33 किसी तरह खसरा नंबर 1246 में से रकबा 4 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 1245/9805 के रूप में तरमीम कराकर रहेंगे और वादीगण को खसरा नंबर 1246 की 4 बिस्वा भूमि से जबरन बेदखल कराकर रहेंगे। वादीगण ने प्रतिवादी 3 लगायत 32 वादीगण से झगडा करने पर उतारू हो गये इसलिये वाद पत्र प्रस्तुत कराना आवश्यक आया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1246 वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 व 33 को खसरा नंबर 1245/9805 की तरमीम करने का एवं वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान करने का एवं नक्शा सीट में परिवर्तन करने कराने का विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 33 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आघात है। यदि प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 33 ने खसरा नंबर 1246 में से खसरा नंबर 1245/9805 तथाकथित की तरमीम कराकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सीट में परिवर्तन करा लिया एवं भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया तो वादीगण अपने खातेदारी भूमि के कब्जा काश्त से वंचित हो जावेंगे जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी। इसलिये वादीगण प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 33 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 1245/9805 रकबा 4 बिस्वा कस्बा करौली वादग्रस्त भूमि की दौराने दावा वादीगण से छिपाते हुये अनाधिकार तरमीम खसरा नंबर 1246 रकबा 1946 रकबा 19 बिस्वा कस्बा करौली में राजस्व कार्मियों से साज कर कराकर वादीगण से छिपाते हुये दौराने दावा अवैध तौर पर श्रीमती विनीता शर्मा निवासी [illegible] के हक में साजिशी वयनामा दिनांक 14.11.2018 व 20.11.2019 को पंजीयन बावजूद स्टे आदेश के करा दिये है जो हक हकूक वादीगण पर प्रभावहीन व शून्य है और दौराने दावा होने से लिस पैण्डिल है। जिन्हें वादीगण प्रभावहीन व शून्य घोषित कराने व तरमीम को निरस्त कराने के अधिकारी है। विनाय मुखास्मत दावा दिनांक 30.7.2018 को प्रतिवादी नंबर 3 लगायत 32 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:50:
Reason: SelfAttested

खसरा नंबर 1246 में खसरा नंबर 1245/9805 रकबा 4 बिस्वा की तरमीम कराने को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का करौली को लेकर खसरा नंबर 1246 पर पहुंचने पर प्रतिवादी नंबर 33 से वादीगण की भूमि में तरमीम कराकर खसरा नंबर 1246 से जबरन बेदखल कराने व करने की एलानियां कहने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। अतः में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 4, 5, 6, 7, 13, 16, 17, 13, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1, 3, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 का दिनांक 28.10.2025 को जबाव बंद किया गया।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–4 व 5, नक्शा संवत 2012 तरमीम सीट प्रदर्श 6 व 7, सेटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श–8, प्रतिवादी नंबर 2 ता 32 के खातेदारी की एवं मिला क्षेत्रफल प्रदर्श–9 एवं जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–10, नक्शा सीट संवत 2012 प्रदर्श–11, नकल वयनामा प्रदर्श 12 व 13 दिनांक 14.11.2018 व 20.11.2019 पेश की है।

बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 1245/9805 नहीं होकर खसरा नंबर 1845/9805 है। जिसकी तरमीम खसरा नंबर 1245 में गलत तौर पर की गई है। खसरा नंबर 1245 का कुल रकबा मात्र 2 बिस्वा है। खसरा नंबर 1246 में वादीगण की भूमि में खसरा नंबर 1245/9805 की गलत तरमीम की गई जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं क[illegible] के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:50:17
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श–7 में खसरा नंबर 1845/9805 का अंकर लाल स्याही से दर्ज है। यह तरमीम सीट संवत 2012 की है। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नंबर 1245/9805

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नहीं रही है। प्रतिवादीगण की आराजीयात की सीरीज खसरा नंबर 1846, 1847, 1848, 1853 व 1860 रही है। खसरा नंबर 1245 का रकबा मात्र 2 बिस्वा है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1245/9805 खसरा नंबर 1245 से नहीं बना है। इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा संवत 2015 में दर्ज है। खसरा नंबर 1845/9805 रहा है जिसका इन्द्राज नक्शा सीट तरमीम प्रदर्श–7 संवत 2012 में दर्ज है। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1246 रकबा 19 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 1246 रकबा 19 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली में दखल नहीं करे व बेदखल नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:17 IST
Reason: SelfAttested